2/12/24, 12:50 PM about:blank



# उत्तराखण्ड जल संस्थान

# जल मूल्य / सीवर शीट / सीवर संयोजन शुल्क / जल स्तम्भ शुल्क

उपभोक्ता संख्या : RP00JWJ01J19E330734771 बिल सं0 : 2023/12/RP00JWJ01J19E330734771

मांग संख्या / संयोग संख्या : 1268A/1000 बिल दिनांक : 02-03-2024

श्री/श्रीमती : राजीव राठौर व संजय राठौर / बिल अवधि : 12/2023 से 03/2024

नत्थनपुर समीप पोस्ट 10/04 देय तिथि : 29-03-2024 12/18/2004 विच्छेदन तिथि : 01-04-2024

संयोजन की श्रेणी : Low Head/Domestic/15 MM

बिलिंग का प्रकार: पेयजल- मासिक औसत /24000 सीवरेज- -/-

### देय बिल का विस्तत विवरण

## अवशेष धनराशि का विवरण

मद का नाम	रूपये में	मद का नाम	रूपये में
जल मूल्य	1515.00	अवशेष जल मूल्य	0.00
सीवर संयोजन/शीट शुल्क	0.00	अवशेष सीवर संयोजन/शीट शुल्क	0.00
मीटर किराया	0.00	अवशेष मीटर किराया	0.00
अन्य मांग	0.00	अवशेष अन्य मांग	0.00
डिस्आनर्ड चैक की राशि	0.00		
विलम्ब शुल्क	0.00	अवशेष मांग	0
वर्तमान मांग	1515	अस्थाई जमा(-)	47.00

छूट देय तिथि तक(-) 77.00 **कुल देय तिथि तक** 1391

भुगतान की स्थिति **इस बिल का भुगतान नहीं किया गया है** भुगतान धनराशि

शाखा का नाम E.E Raipur कलैक्शन सेंटर का नाम Jogiwala

उत्तराखण्ड जल संस्थान

#### नोट :

1.प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथ्रि तक अवश्य कर दें अन्यथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनयत, 1975) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा-72 (क) (ख) के अन्तर्गत बिल में दर्शायी गयी विच्छेदन तिथि अथवा उसके पश्चात बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जल संयोजन विच्छेदित किया जा सकता है।

2.न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी अर्थात 10 हजार लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के उपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट जलमूल्य धनराशि पर अनुमन्य होगी । देयक का भुगतान न करने की स्थिति में विलम्ब अविध के लिये 1.50 प्रतिशत मासिक दर से 'विलम्ब शुल्क' लिया जायेगा ।

about:blank 1/1